Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-74/MP **Dated: 07/11/2016**

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Grant of Revised pay and Allowance and Pension to the Ex.M.L.A of the Government of Madhya Pradesh.

Ref: 1.SSA No.Pension/Gen./S.S/541-576 dated:04/10/2016 of The Accountant General(A&E)-II, Gwalior,Madhya Pradesh.
2.Reminder No.14964 L.A/S/16, dated: 25.05.2016 Of Govt.of Madhya Pradesh.

I am to enclose herewith copies of orders issued by Govt. of Madhya Pradesh. Regarding Grant of Revised pay and Allowance and Pension to the Ex.M.L.A of the Government of Madhya Pradesh and SSA regarding the same issued by the Accountant General(A&E), Madhya Pradesh in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in). under the link:-"***Treasury endorsement of orders for other states***". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

7/11/16

Accounts Officer

P19/II/DRSS7/74
26/10/16

Under Special Authority

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENRAL (A&E) – II
MADHYA PRADESH, GWALIOR

No. Pension/Gen./S.S./ 541-576

Date :- 04/10/2016

To,

The Principal Accountant General (A&E), - Kerala.
Thiruvananathapuram ----------(M.P.)
Kerala,

P19

Sub.:- Regarding Grant of Revised pay and Allowance and Pension to the Ex. M.L.A. of The Government of Madhya Pradesh.

21 OCT 2016

Sir,

Please find enclosing herewith – Copy of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadsya-Vetan Batta Tatha-Pension (Sansodhan) Adhiniyam, 2016, Madhya Pradesh Act. No. 15 of 2016, received from Deputy secretary - secretariat, Vidhan Sabha Madhya Pradesh Bhopal, Vide Letter No. 14964-Dated 25-05-2016, regarding the above subject, and to State that instruction contained therein may be followed Strictly and the entire pension disbursing authorities in the State may be directed suitably to pay the pay and allowance and pension to the Ex-M.L.A. of the Government of Madhya Pradesh.

Enclosed:- as above. (06-Pages)

Yours Faithfully

Accounts Officer / Pension

विधानसभा सचिवालय मध्यप्रदेश

क्रमांक 14964--वि.स./स.ले./16 भोपाल, दिनांक 25/5/2016

स्मरण पत्र

L-889

प्रति

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (टी.एम.)
कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हक़दारी) प्रथम,
मध्यप्रदेश लेखा भवन, झांसी रोड,
ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

विषय :- **मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन का निर्धारण ।**

संदर्भ :- **इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 310/वि.स./स.ले./16, दिनांक 05.05.2016.**

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पास भेजा गया था, जिस संबंध में आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अत: पुन: आपको विशेष वाहक से पत्र प्रेषित कर लेख है कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 186, दिनांक 22.04.2016 में प्रकाशित मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन अधिनियम, 2016 क्रमांक 6145-127-इक्कीस-अ-(प्रा.) अधिनियम की प्रति (संलग्न) अनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्यों को दिनांक 22 अप्रैल, 2016 से बढ़ी हुई दर से निम्नानुसार पेंशन तथा भत्ते देय होंगे:-

भूतपूर्व सदस्यों की पेंशन

क्र.	मद	वर्तमान में देय पेंशन	संशोधन अनुसार देय पेंशन दिनांक 22 अप्रैल, 2016 से
1.	पेंशन	रुपये 15,000.00 प्रतिमाह	रुपये 20,000.00 प्रतिमाह
2.	चिकित्सा भत्ता	रुपये 10,000.00 प्रतिमाह	रुपये 15,000.00 प्रतिमाह
3.	अतिरिक्त वर्ष	रुपये 500.00 प्रतिवर्ष	रुपये 800.00 प्रतिवर्ष
4.	बस भत्ता	रुपये 1,000.00 प्रतिमाह	समाप्त

भूतपूर्व सदस्यों की परिवार पेंशन

क्र.	मद	वर्तमान में देय पेंशन	संशोधन अनुसार देय परिवार पेंशन दिनांक 22 अप्रैल, 2016 से
1.	परिवार पेंशन	रुपये 10,000.00 प्रतिमाह	रुपये 18,000.00 प्रतिमाह
2.	प्रतिवर्ष (एक वर्ष पश्चात्)	--	रुपये 500.00 प्रतिमाह

अत: आपसे अनुरोध है कि भूतपूर्व सदस्यों को दिनांक 22.04.2016 से बढ़ी हुई दर से उनकी पात्रता अनुसार पुनरीक्षित पेंशन एवं चिकित्सा भत्ता एवं परिवार पेंशन के भुगतान के संबंध में समस्त कोषलय अधिकारियों को निदेशित करते हुए इस सचिवालय को अवगत कराने का कष्ट करें । कृपया इसे प्राथमिकता दें ।

संलग्न :- राजपत्र की मूल प्रति.

भवदीय,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016—वैशाख 2, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. 6145-127-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 अप्रैल, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१६

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ३ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा ४-ग का स्थापन.
५. धारा ५ का लोप.
६. धारा ५-क का संशोधन.
७. धारा ६-क का संशोधन.
८. धारा ६-ख का संशोधन.
९. धारा ६-ग का संशोधन.
१०. धारा ७ का संशोधन.
११. धारा ७-क का अन्त:स्थापन.